बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २६ मार्च, १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—महाशय, मैं अष्टम (सितम्बर, १९५५) सत्र के रुके हुये शेष ६१३ अतारांकित प्रश्नों में से ३४४ प्रश्न के उत्तर मेज पर रखता हूं। शेष २६९ अतारांकित प्रश्न के उत्तर भी सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

*ये हैं गत् अष्टम (सितम्बर-दिसम्बर, १९५५) सत्र में पूछे गये ३१५ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर। शेष प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्य।	प्रश्न संख्या।
१	श्री राजाराम आर्य	१९६।
२	श्री त्रिवेणी कुमार	१९७, ४०१।
३	श्री कमला राय	१९८, २०१।
४	श्री जगन्नाथ महतो	१९९, ३२९, ३३८, ३९२, ४७७।
५	श्री कर्पूरी ठाकुर	२००, २१८, २२२, २४५, २४६, २५४, २५७, २५८, ३०६, ३६३, ३९७, ४४९, ४५३, ४६२, ४६५, ४६९, ४७३, ४७६, ५०१।
६	श्री विलियम हेम्ब्रोम	२०२।
७	श्री योगेश्वर घोष	२०३, २०४, २५२।
८	श्री नन्दकिशोर नारायण	२०५, २११, २१७, २१९।
९	श्री पुनीत राय	२०६, २२८, २३४, २६४।
१०	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह	२०७, २२९, २३८, २८३, ३०५, ३१८, ३८७, ४३१।

---

* पृष्ठ संख्या ३ से ३६६ पर जो अतारांकित प्रश्नोत्तर हैं वे तिथि २३ मार्च १९५७ को सभा मेज पर रखे जाने वाले थे मगर वे २६ मार्च १९५७ को सभा मेज पर प्रस्तुत किये गये। अतः उक्त पृष्ठों पर जो तिथि अंकित है उसके बदले में कृपया तिथि २६ मार्च १९५७ पढ़ा जाय।

परिशिष्ट "ख"

१६५२ –५५ ।

समितियों के नाम ।	मुकदमों की संख्या ।	फल ।
१ । बड़िओं ..	१	रुपया वसूल हो गया ।
२ । सोनहो	१	मुकदमा चल रहा है ।
३ । अंड़उल	१	रुपया वसूल हो गया ।
४ । मोतीपुर संघ की समिति	१	रुपया वसूल करने के लिये हुक्म हो गया है ।
५ । मोतीपुर संघ की समिति	१	मुकदमा चल रहा है ।
६ । पकरी नोनिया ..	१	समिति के मंत्री को डेढ़ वर्ष की जेल की सजा हुई ।
७ । डेनभरवा ..	१	रुपया वसूल हो गया इसलिये मुकदमा उठा लिया गया ।
८ । मिसकर टोला ..	१	मुकदमा चल रहा है ।
९ । मंगलपुर ..	१	मुकदमा ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर के यहां जांच में है ।
१० । वनकटवा वेस्ट ..	१	मुकदमा चल रहा है ।
११ । रतनमाला ईस्ट ..	१	मुकदमा चल रहा है ।
१२ । सिरिसिया ..	१	मुकदमा चल रहा है ।
	१२	

नहर की चाट की बन्दोवस्ती ।

३६७ । श्री राम चरण सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि ग्राम शेखपुरा, थाना अरवल, जिला गया के नहर की चाट वहां के हरिजनों के हाथ न बन्दोवस्त कर प्रति वर्ष अधिकारी लोग रूपलाल राम, जाति कहार, ग्राम कुदराशी के नाम से बन्दोवस्त करते हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम के हरिजन प्रतिवर्ष वहां की चाट को बन्दोवस्ती लेने के लिये नहर अधिकारी के पास दर्खास्त देते रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता है;

(३) क्या यह बात सही है कि अधिकारियों के अन्याय से ऊबकर इस वर्ष वहां के हरिजनों ने शान्तिमय तरीके से उक्त नहर की चाट में धान रोप दिया है;

(४) क्या सरकार ग्राम के हरिजनों को नहर की चाट न देकर दूसरे ग्राम के उनलोगों को जिन्हें स्वयं जमीन है, बन्दोवस्त देना उचित समझती है, यदि नहीं, तो प्रति वर्ष दूसरे ग्राम के एक ही व्यक्ति के साथ बन्दोवस्त करने का क्या कारण है;

(५) क्या सरकार उक्त चाट को वहां के हरिजनों के साथ बन्दोवस्त कर उनके साथ न्याय करने का विचार करती है ?

श्री रामचरित्र सिंह—(१) यह बात सही नहीं है । १९४९ में कुछ हरिजनों ने चाट के लिये आवेदनपत्र दिया था और उस साल रामधारी दुसाध हरिजन के साथ ०.३४ एकड़ चाट की बन्दोवस्ती की गयी थी लेकिन जो चाट श्री रूपलाल राम कहार के साथ १९५० में बन्दोवस्ती की गई थी वह पहले जगनारायण राम कहार के साथ बन्दोवस्ती की जाती थी । श्री रूपलाल राम कहार चाट बन्दोवस्ती के लिये योग्य समझे गये और उनके साथ सन् १९५० में ही बन्दोवस्त कर दिया गया जो अभी तक नियम के अनुसार ही यह चाट उनके साथ है । चाट की बन्दोवस्ती १९५० साल में जब श्री रूपलाल कहार के साथ की गयी थी तो उस साल इनके सिवा कोई भी और व्यक्ति ने चाट के लिये आवेदनपत्र नहीं दिया था ।

(२) १९४९ में रामधारी दुसाध हरिजन के साथ चाट की बन्दोवस्ती जैसा की खंड (१) में कहा गया है कर दिया गया है । शेखपुरा के हरिजन चाट के लिये आवेदनपत्र तो प्रतिवर्ष देते हैं लेकिन वर्तमान नियम के अनुसार नहर का चाट पुराने व्यक्ति (lessee) के साथ तब तक बन्दोवस्त की जायगी जबतक कोई आवेदक उसके विरुद्ध सबूत दिखा कर उसे चाट बन्दोवस्ती के लिये अयोग्य साबित न करें । चूंकि अभी तक किसी आवेदक ने रूपलाल राम को नियम के अनुसार इस बन्दोवस्ती के लिये अयोग्य साबित न कर सके इसलिये यह चाट उनसे नहीं ली गयी है ।

(३) नहर चाट की बन्दोवस्ती जोनल कमिटी (जोनल कमिटी) के सदस्यों की राय से ही श्री रूपलाल के साथ की गयी । हरिजनों से यह चाट नहीं ली गयी बल्कि श्री जगनारायण राम कहार से नहर की चाट की बन्दोवस्ती उस इलाके के मुख्य मनुष्य की राय से की जाती है । इसमें हरिजनों के साथ अधिकारियों के अन्याय करने का प्रश्न ही नहीं उठता । शेखपुरा के कुछ लोगों द्वारा नियम की अवहेलना कर नहर चाट को जोतने तथा बुनने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित करने का अभियोग मिला है और इस सम्बन्ध में एक मुकदमा भी जाहानाबाद एस० डी० ओ० के इजलास में चल रहा है ।

(४) श्री रूपलाल कहार शेखपुरा के सटे हुए ग्राम कुदराशी के निवासी हैं जो कि १ मील के अन्दर में है । नियम के अनुसार चाट की बन्दोवस्ती इनके साथ हो सकती है, और जबतक उनके खुशहाल ((सबस्टानसियल) होने का प्रमाण नहीं मिलेगा तबतक इस चाट की बन्दोवस्ती नियम के अनुसार उनके साथ होती रहेगी ।

(५) खंड (४) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

०